न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 1714–दो/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–9–2011 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण कमांक 386/निगरानी/2007–08

कृष्णदेव तिवारी तनय लालमणि तिवारी
निवासी ग्राम बरहुला तहसील जवा (त्योथर)
जिला रीवा म0प्र0

–––––आवेदक

विरूद्ध

1. कृष्णानन्द तनय पारस नाथ तिवारी
   निवासी ग्राम बरहुला तहसील जवा (त्योथर)
   जिला रीवा म0प्र0
2. बाल मुकुन्द तिवारी तनय राम खेलाव तिवारी
   निवासी ग्राम बरहुला तहसील जवा (त्योथर)
   जिला रीवा म0प्र0
3. मध्य प्रदेश शासन

–––––अनावेदकगण

– – – – – –

श्री श्रवण पाण्डे, अभिभाषक, आवेदक
श्री अरूणेन्द्र तिवारी, अभिभाषक, अनावेदक कं 1 एवं 2

– – – – – –

:: आदेश पारित ::
(दिनांक 26 फरवरी 2015)

– – – – –

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण कमांक 386/निगरानी/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 15–9–2011 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहित 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक ने ग्राम बरहुला तहसील त्योंथर स्थित सर्वे कमांक 136 रकवा 0.52 एकड़ भूमि के सीमांकन बावत आवेदन तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया। तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण 47/अ–12/2003–04 दर्ज किया जाकर आदेश दिनांक 27–8–05 के द्वारा सीमांकन की पुष्टि की गई। नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 एवं 2 द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 10–1–08 के द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि सीमांकन हेतु विधिवत सभी सरहदी कृषकों को सूचित कर संहिता में निर्मित नियमों का पालन करते हुये सीमांकन की कार्यवाही की जावे। अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा निगरानी अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 15–9–2011 के द्वारा निगरानी निरस्त की। अपर आयुक्त के उक्त आदेश के विरूद्ध निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क किया कि तहसील न्यायालय द्वारा खसरा कमांक 136 की चौहददी के सरहदी कास्तकारों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर देने के उपरांत सीमांकन आदेश पारित किया था। अनावेदक कमांक 1 एवं 2 प्रश्नाधीन भूमि के सरहदी कृषक नहीं है और उन्हें निगरानी प्रस्तुत करने की अधिकारिता नहीं थी। इस वैधानिक बिन्दु को अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। आवेदक अभिभाषक ने यह भी तर्क दिया कि तहसील न्यायालय द्वारा दो बार बंदोबस्ती सीमाचिन्ह से फील्डबुक तैयार कर विधिवत सीमांकन की कार्यवाही की है। उनके द्वारा यह भी तर्क किया कि अपर आयुक्त द्वारा एक ही दिन में लगभग 50 से अधिक आदेश पारित किये। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में इस वैधानिक बिन्दु को भी नहीं देखा कि अपर कलेक्टर के समक्ष अनावेदकों द्वारा आवेदक को बिना

पक्षकार बनाये निगरानी प्रस्तुत की थी, जिसमें आवेदक द्वारा उपस्थि होकर दिनांक 10–10–06 को पक्षकार बनाये बावत आवेदन पेश किया गया था। अपर कलेक्टर के समक्ष अनावेदक कमांक 1 एवं 2 के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 14–11–06 को प्रकरण अदम पैरवी में खारिज हो गया था। प्रकरण पुनः पुर्नस्थापित किये जाने के बाद आवेदक को सूचना जारी किये जाने के आदेश दिये, परन्तु सूचना जारी नहीं की गई और बाद में आदेश पत्रिका में सूचना जारी किये जाने के आदेश को काटकर, तत्पश्चात पेशी दिनांक 10–1–08 को आवेदक के विरूद्ध एकपक्षीय अवैधानिक आदेश पारित कर दिया गया, जो निरस्ती योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार की अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाये।

4/ अनावेदक कं 1 व 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क दिया कि तहसील न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के सरहदी कास्तकार को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये गये त्रुटिपूर्ण आदेश को अपर कलेक्टर ने निरस्त कर प्रकरण पुनः उभय पक्ष के सुनवाई का अवसर देने के पश्चात सीमांकन किये जाने के आदेश दिये हैं। अनावेदक अभिभाषक ने यह भी तर्क दिया कि तहसील न्यायालय द्वारा स्थाई बन्दोबस्ती सीमाचिन्हों का उपयोग नहीं किया गया था इस कारण अपर कलेक्टर द्वारा सीमांकन आदेश निरस्त किया, जिसे अपर आयुक्त द्वारा भी स्थिर रखा गया है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेखों का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर अनावेदकों को सूचना दिया जाना तथा स्थल पंचनामे में अनावेदकों के हस्ताक्षर नहीं होने से यह सिद्ध होता है कि सरहदी कृषकों को बिना सूचना दिये एवं बिना उनकी उपस्थिति में सीमांकन आदेश दिया है।

तहसील न्यायालय के अभिलेख यह भी स्पष्ट होता है कि सीमांकन के समय बन्दोबस्ती स्थाई सीमाचिन्ह का उपयोग न कर संहिता की धारा 129 के नियमों का पालन नहीं किया जाना प्रकट होता है। इन्हीं बिन्दुओं पर अपर कलेक्टर द्वारा निष्कर्ष निकालते हुये विधिवत सीमांकन हेतु प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया है। अपर कलेक्टर के उक्त आदेश को अपर आयुक्त द्वारा भी स्थिर रखा गया है, जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 15—9—2011 स्थिर रखा जाता है।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर